(116)

(116)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1179–तीन/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–3–2016 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन प्रकरण क्रमांक 2/अ–76/2015–16.

.....

दिनेश जैन पिता श्री मांगीलालजी जैन,
निवासी बोथरा हाउस महिदपुर रोड
तहसील महिदपुर जिला उज्जैन म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा खनिज अधिकारी उज्जैन जिला उज्जैन ..... अनावेदक

.....

श्री एम0एल0पाठक , अभिभाषक– आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील महिदपुर जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–3–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी, महिदपुर जिला उज्जैन द्वारा दिनांक 19–2–2016 को पारित आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा आवेदक से रुपये 30,29,25,600/– वसूल करने हेतु प्रकरण क्रमांक 2/अ–76/15–16 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । आवेदक द्वारा बकाया राशि जमा नहीं करने के कारण तहसीलदार द्वारा दिनांक 16–3–2016 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक की अचल संपत्ति विक्रय की जाना आदेशित किया गया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 147 के प्रावधानों का पालन नहीं करते हुये दबाव में आकर शीघ्रतिशीघ्र आवेदक की संपत्ति विक्रय किये जाने की कार्यवाही की जा रही है, जो कि अवैधानिक कार्यवाही होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि जिस दिनांक 16–3–16 को तहसीलदार द्वारा आवेदक की संपत्ति विक्रय किये जाने का आदेश दिया गया है उस दिनांक के पूर्व ही अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थगित कर दिया गया था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि है और तहसीलदार द्वारा अन्य सहखातेदारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है व उद्घोषणा का प्रकाशन नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित प्रारूप में सूचना पत्र जारी किये जाते हैं और 30 दिवस का समय दिया जाता है, परन्तु तहसीलदार द्वारा बिना समय दिये दबाव में आकर कार्यवाही की जा रही है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से खनिज अधिकारी द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् कार्यवाही की जा रही है । अतः उक्त कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में कार्यवाही की जा रही है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । चूँकि आवेदक द्वारा उस पर अधिरोपित दण्ड की राशि जमा नहीं की जा रही है, इसलिये उसकी अचल संपत्ति विक्रय किये जाने की कार्यवाही करने में भी तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की कोई अन्यायपूर्ण कार्यवाही की जाना परिलक्षित नहीं होता है । अतः

तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील महिदपुर जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–3–2016.स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर